

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....01/7/24

क्रमांक / 57 / 04 / योजना / वीओसी / 2024 /161..... :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना" के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 09 दिनांक 26.11.2012 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iii) में आंशिक संशोधन एवं बिन्दु क्रमांक (vi) सम्मिलित कर तथा अधिसूचना के कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) सम्मिलित कर तथा कण्डिका (द) योजना हेतु व्यय में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है -

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना :-

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iii) में आंशिक संशोधन किया जाता है:-

(iii) योजना अंतर्गत छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (CSDCI), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार कौशल विकास विभाग द्वारा अधिकृत संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (vi) को सम्मिलित किया जाता है :-

(vi) भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर जारी प्रशिक्षण दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (iv) को सम्मिलित किया जाता है :-

(iv) मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित संतानों को 03 वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जावेगा।

कण्डिका (द) योजना हेतु व्यय में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) को सम्मिलित किया जाता है:-

(ii) भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं मॉडल वेलफेयर स्कीम के जारी दिशा-निर्देश में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्व वर्ष में संग्रहित उपकर के 10 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण कार्य में व्यय किया जाना प्रावधानित किया गया है, के अनुरूप व्यय किया जावेगा।

X


//02//

(iii) श्रमिकों के प्रशिक्षण कराये जाने पर प्रशिक्षण शुल्क, मानदेय एवं परीक्षा / मूल्यांकन शुल्क का भुगतान छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (CSDCI), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVT), एवं भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर किया जावेगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर


अटल नगर, दिनांक 01/7/24

पृष्ठां0 क्रमांक / 57 / 04 / योजना / बीओसी / 2024 / 1997

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।

13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
17. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण [REDACTED] कल्याण मण्डल
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, नडरी रायपुर
अधिसूचना

दिनांक...06/05/2013

क्रमांक.....28..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 09, दिनांक 26.11.2012 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना, अधिसूचना क्रमांक एफ-10.30/2010/16, दिनांक 25.11.2010, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2010/16 दिनांक 01.10.2010 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना तथा अधिसूचना क्रमांक 10-4/2010/16 दिनांक 04.03.2010 नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :-

1.-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना :-

(ई) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक होगा ।

2.-मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

3.-मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

4.-मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

5.-नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

(द) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)



(श्रीमती सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण
कर्मकार कल्याण, मण्डल

रायपुर, दिनांक 06/05/2013

पृष्ठांकन क0 / / 298-306
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रम सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त कार्यालय के उपश्रमायुक्त रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..... (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां मण्डल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण
कर्मकार कल्याण, मण्डल

-16-

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर
अधिसूचना

दिनांक 26/11/2012

क्रमांक..... 0.9..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर, कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना ।
- (ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण यथा राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कारपेन्टर इत्यादि तथा कम्प्युटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राईविंग, आटोमोबाईल, सुरक्षा गार्ड, एवं समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा ।
- (iii) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी। (पूर्व में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2010/16, रायपुर, दिनांक 29.11.2010 द्वारा अधिसूचित मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना को भी इस योजना में शामिल किया जाता है।)
- (iv) योजना का स्वरूप
 - (अ) पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण ।
 - (ब) पंजीकृत निर्माण मजदूरों जिस ट्रेड में कार्य करते हैं, उसका प्रमाण पत्र

प्रदाय करना। (DIRECT CERTIFICATION)

(स) पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना।

(परिवार से तात्पर्य पंजीकृत श्रमिक के पत्नि/पति एवं बच्चे)

(द) ट्रेड वार्डज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

(व) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) योजना हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्य की स्थिति में सदस्य एवं पंजीकृत श्रमिक दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) योजना हेतु व्यय :-

(i) प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को छात्रवृत्ति (जो उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन के बराबर होगा) एवं प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा। यह लाभ पंजीकृत श्रमिकों को देय होगा, न कि परिवार के सदस्यों को।

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का दर मण्डल द्वारा निर्धारित किया जावेगा। भविष्य में केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण योजना हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है, तो उसका समायोजन किया जावेगा।

(ई) स्वीकृति का अधिकार :-

✓

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

क) विसंगति का निराकरण—

- (i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 07.09.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर, दिनांक 26/11/12

पृष्ठांकन क0 / / 5033
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुख्यालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

-: अधिसूचना :-


रायपुर, दिनांक: 29 / 11 / 2010

क्रमांक एफ 10-33/2010/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना :-

- (अ) योजना का प्रावधान :-
- योजना का नाम "मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना, 2010" होगा।
 - योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 1000 राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जावेगा।
 - राजमिस्त्री प्रशिक्षण में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा।
 - योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।
- (ब) योजना हेतु पात्रता :-
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।
- (स) स्वीकृति का अधिकार:-
- योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।
- (द) अन्य विवरण:-
- इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के०डी० कुंजाम)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग